IN THE COURT OF SRI PANKAJ PANDEY, A.C.J.M-VTH, DANAPUR

Khagaul P.S. Case No. - 95/2022

GR No. - 1222/2022

26.06.2023

सूचक की पैरवी नही है। अभिलेख अन्तिम प्रपत्र पर सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि इस वाद में प्राथमिकी अभियुक्त अज्ञात चोर के विरूद्ध धारा 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा काण्ड दैनिकी एवं आरोप पत्र सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है। सूचक को इस वाद में नोटिस निर्गत किया गया है परन्तु न तो सूचक उपस्थित हुए और ना ही सूचक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। इससे स्पष्ट होता है कि सूचक को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के आलोक में अंतिम प्रपत्र को स्वीकृत किया जाता है एवं मामले को निष्पादित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर मुख्य न्या0 दण्डा0–V
दानापुर